मध्य रेलवे

पुणे मंडल
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
कार्मिक शाखा, पुणे

सं. पीए/पी/मेडिकल/ठेका मंरेप्र कार्यालय

दि. 22/06/2020

अस्थायी सी.एम.पी .डॉक्टर/जीडीएमओ, संविदा स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स), परिचर (अटेंडेंट्स) और हाउस कीपिंग सहायकों को पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर उनके कार्यभार ग्रहण की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए नियुक्त करना।

पुणे मंडल पर खुले बाजार से पूर्ण-कालिक अनुबंध के आधार पर विलगीकरण कक्ष / रेलवे कोच में उनकी ज्वाइनिंग की तिथि से 3 महीने की अवधि के लिए सीएमपी डॉक्टर्स/जीडीएमओ ,स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक ,अस्पताल अटेंडेंट्स या ओ.टी. अटेंडेंट्स और हाउस कीपिंग सहायकों को निम्नलिखित पदों पर चयन के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवालों के लिए व्हाट्सएप कांफ्रेंस रिकॉर्डेड कॉल के माध्यम से एक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

क्र.सं	श्रेणी	कुल पदों की आवश्यकता	शैक्षिक योग्यता	अधिसूचना की तिथिनुसार उम्मीदवार की आयु सीमा	चिकित्सा वर्गीकरण
1	सी.एम.पी . डॉक्टर / जीडीएमओ	30	1. चिकित्सा में डिग्री अर्थात् एमबीबीएस)एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त (पहली अनुसूची या तीसरे अनुसूची के भाग ग्यारह)भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के लिए लाइसेंस योग्य योग्यता के अलावा अन्य में शामिल हैं। (तीसरे के भाग II में शैक्षिक योग्यता के धारक अनुसूची को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13 (3) में निर्धारित शर्त को भी पूरा करना	अधिसूचना की तिथि के दिन 53वर्ष से अधिक न हो , अनु.जाति/ जनजाति / पूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट	बी1-

			चाहिए। 2. उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी की होनी चाहिए।		
2	स्टाफ नर्स	90	पंजीकृत नर्स और मिड-वाइफ के रूप में भारतीय नर्स कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग या अन्य संस्थान या स्कूल से सामान्य मिड-वाइफरी में 3 1/2 वर्ष का कोर्स या बीएससी (नर्सिंग) का प्रमाण पत्र। आईसीयू मामलों का प्रबंधन एवं वेंटिलेटर पर कार्य करने में अनुभवी और संक्रमित / पृथक रोगियों के उपचार में अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।	40 वर्ष से अधिक न हो । अनु.जाति/ जनजाति/ पूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट	सी-1
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक	15	रसायनशास्त्र विषय के साथ बीएससी और मान्यताप्राप्त संस्थान से स्वास्थ्य/सेनेटरी निरीक्षक का एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम	33वर्ष से अधिक न हो। अनु.जाति/ जनजाति / पूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट	सी-1
4	अस्पताल सहायक / ओटी सहायक	75	एसएससी या आईटीआई या समकक्ष अस्पताल में काम करने के अनुभवी उम्मीदवारों को वरियता दी जाएगी।	33 वर्ष से अधिक न हो। अनु.जाति/ जनजाति / पूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट	बी-1
5	हाउस कीपिंग सहायक	75	एसएससी या आईटीआई या समकक्ष।	33 वर्ष से अधिक न हो। अनु.जाति/ जनजाति / पूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट	बी-1

क (चूंकि पद अस्थायी उपाय पर आकस्मिकताओं के कारण स्वीकृत संवर्ग से अधिक और अतिरिक्त हैं, इसलिए कोई निर्धारित सामुदायिक वितरण (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस) लागू नहीं है। हालांकि, मौजूदा नियमों के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी आदि श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। अधिसूचना की दिनांक के अनुसार आयु की स्थिति मानी जाएगी।

ख) रिक्तियां अनंतिम है और प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती हैं। अधिसूचित पैनल/चुनिंदा सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची/स्टैंड-बाय उम्मीदवार हो सकते हैं जिन्हें आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है।

ग (चूंकि जरूरत अत्यावश्यक हैं ,लॉकडाउन के दौरान तुरंत ज्वाइन कर सकने वाले पुणे या पुणे जिले में रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

नोट :

1) पदों की संख्या और स्थान परिवर्तन के अधीन हैं। प्रस्ताव नियुक्ति के समय उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होगा।

2) यहां दर्शाए गए पद प्रशासन के विवेकाधिकार पर खाली रखे जा सकते हैं।

3) रेलवे बोर्ड का दिनांक 23/02/2000 का पत्र संख्या 96/E(GR) II/9/16 और दिनांक 16/07/2012, 28/03/2020 एवं 31/03/2020 का पत्र संख्या 2008/E(GR) II/1/1 के अनुसार निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार बिना कोई कारण बताए 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध अवधि के दौरान रेलवे द्वारा अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4) रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले सी.एम.पी .डॉक्टर /जी.डी.एम.ओ .स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ,अस्पताल सहायक/ओटी सहायक अटेंडेंट और हाउसकीपिंग सहायकों के पास, सेवा में अपनी निरंतरता या अनुबंध की अवधि के स्वत: विस्तार के लिए कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। पूर्णकालिक संविदा स्टाफ नर्स/अटेंडेंट/हाउस कीपिंग सहायकों के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का यूपीएससी, आरआरबी, आरआरसी के माध्यम से नियमित चयन में उनकी अवधि पर विचार करने के संबंध में कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही यह उन पर विनियमों या अवशोषण के लिए कोई अधिकार प्रदान करेगा।

5) पात्र एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी आयु छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र / आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।

6) शॉर्ट लिस्ट किए गए कर्मचारियों को निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(7 वे पुणे मंडल के रेलवे आइसोलेशन कोचो में रोस्टर आधार पर 3 शिफ्ट में 08.00) से , 14.00 14.00से 20.00 और 20.00 से अगले दिन 08.00 बजे तक (काम करेंगे ,सप्ताह में एक दिन

विश्राम दिया जाएगा। तीन माह या उससे कम के कार्यकाल के दौरान इन्हें उचित पीपीई ,निवास और भोजन की व्यवस्था निशुल्क की जाएगी। कोविड की ट्रीटमेंट हेतु एमओएचएफडब्ल्यु के मार्गदर्शी सिध्दान्तों के अनुसार वे अपने घर नहीं जा सकेंगे।

(8 पुणे मंडल पर रेलवे की अन्य चिकित्सा सुविधाओं जैसे अस्पताल आइसोलेशन वॉर्ड ,फीवर क्लिनिक क्वारंटाइन सुविधा आदि के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।

- **वेतनमान**

सीएमपीडॉक्टर/जीडीएमओ	रुपए) -/75000 समेकित(
स्टाफ नर्स	रुपए 44900 /- + भत्ते
स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक	रुपए354 00 /- + भत्ते
अस्पताल सहायक / ओटी सहायक /हाउसकीपिंग असिस्टेंट	रुपए 18000/- + भत्ते

अनुपस्थिति दिनों के लिए वेतन का प्रति दिन जो दैनिक दर होगा उसके अनुपात में कटौती होगी।

शैक्षिक / व्यावसायिक अर्हता

1) **सीएमपी डॉक्टर्स / जीडीएमओ**

I) चिकित्सा में डिग्री अर्थात् एमबीबीएस) एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त (पहली अनुसूची या तीसरे अनुसूची के भाग ग्यारह) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के लिए लाइसेंस योग्य योग्यता के अलावा अन्य में शामिल हैं। (तीसरे के भाग II में शैक्षिक योग्यता के धारक अनुसूची को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13 (3) में निर्धारित शर्त को भी पूरा करना चाहिए।

II) उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी की होनी चाहिए।

2) **स्टाफ नर्स के लिए**

पंजीकृत नर्स और मिड-वाइफ के रूप में भारतीय नर्स कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग या अन्य संस्थान या स्कूल से सामान्य मिड-वाइफरी में 3 वर्ष का कोर्स या बीएसस्सी (नर्सिंग)का प्रमाण पत्र। साथ ही नर्सिंग कौंसिल का वैध पंजीकरण। आईसीयू मामलों का प्रबंधन एवं वेंटिलेटर पर कार्य करने में अनुभवी और संक्रमित / पृथक रोगियों के उपचार में अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

3) स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक के लिए
रसायनशास्त्र) मुख्य विषय के रूप में (के साथ बी.एस सी .और मान्यता प्राप्त संस्था से हेल्थ सैनिटरी इन्स्पेक्टर का एक वर्ष का पाठ्यक्रम
4) अस्पताल सहायक / ओटी सहायक /हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए एसएससी या आईटीआई या समकक्ष अस्पताल में कार्य करने के अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
5) उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले https://railkarmikseva.in/eniyukti/app/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन में दिए गए मोबाईल नंबर पर व्हाट्सएप साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए अपने सभी आवश्यक दस्तावेज की प्रतियां पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करें।

6) वैश्विक महामारी के कारण स्टाफ की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वॉक-इन इंटरव्यू को दिनांक 30.06 2020.को निर्दिष्ट नंबर पर व्हाट्सएप रिकॉर्डेड कॉन्फ्रेंस कॉल से बदल दिया गया है।

7) केवल चयनित उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करते समय किया जाएगा और संदेह की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अगले उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के लिए बुलाया जाएगा।

8) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार पद के लिए आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपियों का एक सेट ,दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ,अपने बैंक खाते का रद्द किया हुआ एक धनादेश ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड साथ में रखें।

9) कृपया ध्यान दें ,सिस्टम ,अपात्र उम्मीदवारों का पंजीकरण स्वीकृत नहीं करता हैं और अधूरे भरे गए आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाएंगे।

10) नाम में परिवर्तन के मामले में विवाहित महिला उम्मीदवारों ने मैरेज सर्टिफिकेट या सरकारी राजपत्र संलग्न करना चाहिए।

यह केवल एक अस्थायी उपाय है और 3 महीने की समाप्ति पर यथास्थिति को तब तक बहाल किया जाएगा जब तक कुल संख्या और शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में अगले आदेशों तक विस्तारित नहीं किया जाता है।

आवेदन कैसे करें
आवेदक https://railkarmikseva.in/eniyukti/app/ साइट पर आवेदन करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें तथा अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी संबंधित दस्तावेजों को स्कैन कर पर पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करें। पात्र उम्मीदवारों का व्हाट्सएप फोन कॉल के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाएगा। दिनांक2 7 06.2020.के00 .00 बजे तक पंजीकरण स्वीकृत किया जाएगा और यदि उम्मीदवार अपात्र पाया गया तो पंजीकरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

साक्षात्कार प्रक्रिया तथा नियम एवं शर्तों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://railkarmikseva.in/ देखें।

For any queries Contact Shri.V.L.Thorat on 8669102193, Shri.Santosh Mandale on 7218016169, Shri.Terrence on 8411046908

(सुनील ठाकुर)
सहायक कार्मिक अधिकारी / पुणे
कृते मं.रे.प्र (का) पुणे

मध्य रेलवे पुणे मंडल

पूर्णकालिक आधार पर अस्थायी पूर्णकालिक अनुबंधित **ठेका स्टाफ से ठेके में प्रवेश हेतु नियम और शर्तें**

1. अनुबंध में शामिल होने की तारीख से केवल तीन महीने के लिए वैध है, अनुबंध की अवधि किसी भी आधार पर बढ़ाई नहीं जाएगी।

2. पूर्णकालिक अनुबंधित कर्मचारी जो रेलवे के साथ अनुबंध में प्रवेश करते हैं, उन्हे सेवा में निरंतरता या अनुबंध अवधि में स्वंयचलित विस्तार के लिए कोई दावा अधिकार नहीं होगा।

3. अनुबंध की वैधता के दौरान, कर्मचारी रेलवे को 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अनुबंध के दौरान रेलवे द्वारा अनुबंध को किसी भी समय, बिना किसी कारण बताए 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

4. किसी भी स्टाफ को छुट्टी या अनुपस्थिति के लिए अपने कार्यस्थल को छोड़कर जाने से पहले नियंत्रण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

5. सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा।

6. अनुबंध पैरा मेडिकल/ मेडिकल स्टाफ के लिए मासिक शुल्क और अनुबंध स्टाफ की स्थिति में शुल्क से आनुपातिक कमी की दैनिक दर स्वयं अनुबंध में अनुपस्थित अवधि के लिए स्वयं / स्वयं अनुपस्थित रहती है, जो मूल आधार पर होगी। :

7. अनुबंध स्टाफ को समय-समय पर रेलवे द्वारा जारी शर्तों अनुबंध पर किसी भी आदेश / संशोधन द्वारा इन नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट नहीं किए गए मामले के संदर्भ में नियंत्रित किया जाएगा।

8. अनुबंध मेडिकल स्टाफ उन सभी सामान्य कार्यों में भाग लेगा जो कोई भी मेडिकल स्टाफ प्रचलित रूप से करता रहा है।

(सुनील ठाकुर)
सहायक कार्मिक अधिकारी / पुणे
कृते मं.रे.प्र (का) पुणे